परिपत्र सं० 5/2019-सीमाशुल्क

फ़ा. सं०. 609/4/2019-डी बी के

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड

नयी दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त

सीमाशुल्क/ सीमाशुल्क (निरोधक)/ सीमाशुल्क और केंद्रीय कर

सभी प्रधान महानिदेशक/ महानिदेशक जो सी बी आई सी के अंतर्गत आते हों

महोदया/महोदय,

विषय: प्रति अदायगी की अखिल औद्योगिक दरों में दिनांक 20.02.2019 से लागू होने वाले संशोधन

सरकार ने अधिसूचना सं० 95/2018-सीमाशुल्क (गै०टे०), दिनांक 06.12.2018, जोकि 19.12.2018 को लागू हुई थी, के तहत लागू की गयी प्रतिअदायगी की संशोधित अखिल औद्योगिक दरों से उत्पन्न मुद्दों के बारे में प्राप्त कई अभ्यावेदनों पर विचार किया है। तदनुसार, सरकार ने अधिसूचना सं० 12/2019-सीमाशुल्क(गै०टे०), दिनांक 16.02.2019 को जारी करके इसमें कुछ संशोधन कर दिया है। ये संशोधन 20.02.2019 से लागू होंगे। इस अधिसूचना को **www.cbic.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है और उनका अनुपालन किया जा सकता है।

2. किये गये परिवर्तन में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित बातें शामिल हैं -

(क) निम्नलिखित मदों पर प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दरों/कैप्स में वृद्धि की गयी है:

(i) चमड़े का सोफा कवर और अन्य अपहॉल्स्ट्री, जिसमे आटोमोबाइल अपहोलसट्री शामिल है, जो कि अध्याय 42 में आती हैं;

(ii) संश्लिष्ट फिलामेंट टो, संश्लिष्ट स्टेपल फाइबर, जो कताई के लिए धूनित, कंकतकृत या अन्यथा प्रसस्कृत नहीं हैं और संश्लिष्ट स्टेपल फाइबर, जो कताई के लिए धूनित, कंकतकृत या अन्यथा प्रसंस्ककृत हैं जो कि अध्याय 40 में आती हैं;

(iii) मानव निर्मित फाइबर के कालीन और अन्य टेक्सटाइल की फर्श की बिछायतें, मूर्धित चाहे निर्मित हैं या नहीं, जोकि अध्याय 57 में आती हैं;

(iv) सिल्क की कतिपय वस्तुएं, जो कि अध्याय 61 और 62 में आते हैं;

(v) वयस्कों के लिए संपूर्ण चमड़े के बूट और अर्द्ध बूट जो कि अध्याय 64 में आते हैं;

(vi) सोने के आभूषण जोकि अध्याय 71 में आते हैं; और

(vii) सेलुलर मोबाइल फ़ोन्स, उपसाधन के साथ या बगैर, जोकि अध्याय 85 में आते हैं।

(ख) अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले चांदी के आभूषण और वस्तुएं पर प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दर/कैप्स को कम कर दिया गया है।

(ग) टैरिफ मद 820701 के अंतर्गत आने वाले ठोस टंगस्टन कार्बाइड ब्लैंक्स या राड्स से बने पीसीबी ड्रिल से प्रतिअदायगी की कैप को हटा दिया गया है।

(घ) 5 नए टैरिफ मद बनाये गए हैं जो की नायलॉन फिलामेंट सूत (ग्रे)(540204), पॉलिस्टर फिलामेंट सूत, टेक्चराइज़्ड / ट्विस्टेड सूत से अन्य(540205), साधारण रेल इंजेक्टर के लिए आर्मेचर प्लेट(840902), साधारण रेल इंजेक्टर के लिए आर्मेचर गाइड(840903) और 500cc और उससे ऊपर की सिलेंडर क्षमता की मोटर साइकिलें (871101) हैं।

3. व्यापार/क्षेत्रीय कार्यालयों के मार्गदर्शन के लिए उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाएं/स्थायी आदेश जारी किए जाए। इस संशोधन को लागू करने में यदि कोई परेशानी आये तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जाये।

भवदीय,

(दिपिन सिंगला)
विशेष कार्य अधिकारी (प्रतिअदायगी)